7

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर म०प्र० R 159-I/17

पुनरीक्षण/ क्र.

भक्ति तनय नथुवा लोधी निवासी डूंडा बेरा
तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मलखान तनय बहोरे लोधी निवासी डूडाबेरा
तह. बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक मंडल बल्देवगढ़ के प्र०क्र०8 वर्ष/ 2016-17 मे पारित आदेश दि. 11/11/2016 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50म०प्र०भू०रा०सं० 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता अपनी विनय सादर प्रस्तुत करता है:

1. यहकि प्रति पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक नेअपने स्वामित्वकेख.न. 215 एवं 216एवं 413 का सीमांकन हेतु परीक्षण न्यायलय रा०नि०बल्देवगढ़ के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र०क्र० 8/2016-17 /अ-12 मे दर्ज किया गया और दिनांक 26/10/2016 को स्थल पर सीमांकन किया सीमांकन के दौरान ख.न.215 के अंश रकवा 0.025हे. पर पुनरीक्षणकर्ताका अवैध कब्जा बताया तथा दिनांक 11/11/16 को उक्त सीमांकन प्रदर्श पी-1 पंचनामा एवं प्रदेश पी-2 फील्डबुक को दर्शाते हुए सीमांकन स्वीकार किया इससे दुखित होकर यह पुनरीक्षण निम्न विधिबिन्दुओ पर प्रस्तुत किया जा रहाहै।

2. यहकि अधिनस्थ न्यायालय की यावयांत पत्रावली विधि विरुद्ध होने से स्थिर रखने योग्य नही है क्योकि परीक्षण न्यायालय ने प्रति पुनरीक्षण कर्ता के आवेदन पर सीमांकन । जब दिनांक 26/10/2016 को गया तो तरहदी कृषक जिसमे पुनरीक्षण कर्ता है कोई सूचना पत्र जारी नही किया इस कारण सीमांकन आदेश स्थिर रखने योग्य नही है।

3. यहकि फील्डबुक प्रदर्श पी.2 का अवलोकन हो दो स्थाई चिन्होसे आधार लाईन डाली जाती है प्रथम स्थाई चिन्ह ख.न.396 कुआं बताया जो "ए०" अंग्रेजी के अक्षर से संबोधित है परंतु "बी०" बिन्दू कौन सा है लेख नही किया इस कारण आधार लाईन जिस पर जरीब चलाते है गलत हो बनाने से सीमांकन त्रुटिपूर्ण हो गया जो श्रीमान के समक्ष विचारणीय है ।

(12)

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-159-एक/2017 जिला टीकमगढ़ भक्ति विरूद्ध मलखान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 08/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 2/1/19 सदस्य	